न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं.:—38/2018

कुलदीपसिंह पुत्र हरभानसिंह जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

यशोवर्द्धनसिंह पुत्र संसार सिंह वेवी जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांकः—24.10.2018

प्रार्थी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम जघीना न0 3 तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 5971/0.30, 6685/0.33, 6783/0.22, 6784/0.14 किता 4 कुल रकवा 0.99 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार प्रार्थी का पिता व अप्रार्थी हरभानसिंह 1/2 भाग तथा हरिराम 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार था। प्रार्थी व अप्रार्थी का परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

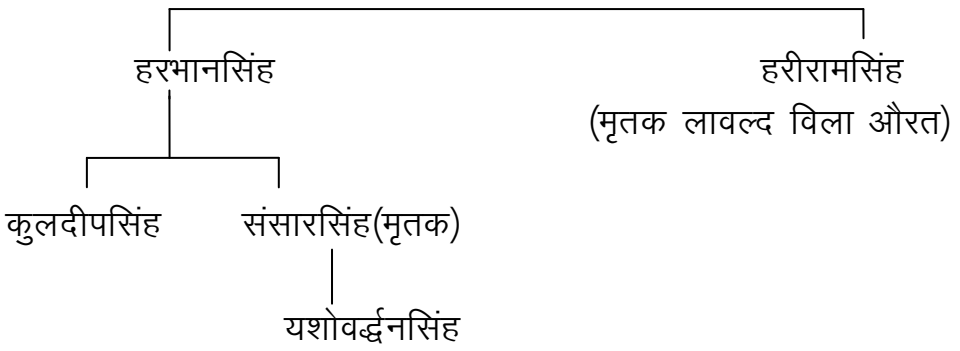

चूंकि हरीरामसिंह की मृत्यु लावल्द विला औरत हुई है। इसलिए उक्त आराजी मुतनाजा में मृतक हरीराम के 1/2 भाग प्रार्थी अकेले के उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ है। इस आराजी मुतनाजा में अप्रार्थी का कोई हित अथवा कब्जा नहीं है। अप्रार्थी बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने मृतक हरीराम की उक्त आराजी मुतनाजा में निहित 1/2 हिस्सा को हडपने के उददेश्य से एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली जिसे अपंजीकृत बता रहा है। जबकि प्रार्थी के मृतक चाचा हरीराम ने अपने जीवनकाल में कोई कथित वसीयत अप्रार्थी के हक में तहरीर नहीं की है। कथित वसीयत के आधार पर अब अप्रार्थी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर दखिलखारिज खुलवाकर आराजी मुतनाजा को दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल करने की फिराक में है। जबकि उसे इस प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी कथित वसीयत के आधार पर उक्त आराजी मुतनाजा में प्रार्थी को प्राप्त मृतक हरीराम के 1/2 हिस्सा को स्वीकार करने से इन्कार कर रहा है।

अप्रार्थी को उक्त आराजी मुतनाजा को किसी भी हिस्से से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अब वह कथित वसीयत के आधार पर उक्त आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करा कर दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल करने पर उतारू है। जिसकी बाबत उसने प्रार्थी को दिनांक 10.06.2018 को धमकी दी है। यदि अप्रार्थी अपने इरादे में सफल हो गया तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधा इस कदर पाबंद किये जावे कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बरान 5971/0.30, 6685/0.33, 6783/0.22, 6784/0.14 स्थित वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 तहसील भरतपुर मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें और ना ही किसी अवैध तरीके से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करावें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थति कायम रखें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में संवत् 2072–2075 की नकल जमाबंदी पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी ने हाजिर अदालत होकर दिनांक 24.07.2018 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र काउण्टर क्लेम पेश कर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार कर उजरात मजीद में अंकित किया है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक आराजी है। इस कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज किये जाना वाला अनुतोष दिये जाना संभव नहीं है। अप्रार्थी के पिता संसाररसिंह थे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिनका स्वर्गवास 12.07.2004 को हरभानसिंह के जीवनकाल मे ही हो गया था। हरभानसिंह का स्वर्गवास दिनांक 21.04.2010 को हो गया। संसारसिंह के स्वर्गवास के समय अप्रार्थी नाबालिग था। अप्रार्थी की माता राजश्री व बहिन वर्षा कुमारी स्त्री होने से सम्पत्ति की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे। संसारसिंह की मृत्यु से हरभानसिंह अपनी सुध बुध खो बैठे थे जिसका अनुचित लाभ उठाकर बिना प्रतिफल राशि दिये बिना कब्जा हस्तांतरण के एक दिखावटी व फर्जी वयनामा दिनांक 15.04.2009 को निस्तादित करवा कर नामान्तरणकरण खुलवा लिया जिसमें अप्रार्थी का भी जन्म से हिस्सा निहित है। वयनामा अप्रार्थी के हद तक वातिल व वेअसर है। हरिरामसिंह लावल्द विला औरत व सन्तान फोत हुआ जो अपने जीवनकाल में अप्रार्थी व उसके पिता संसारसिंह के साथ रहा। दिनांक 20.10.2015 को हरीरामसिंह ने एक वसीयत अप्रार्थी के हक में निस्पादित कर दी है। जिसके आधार पर अब अप्रार्थी हरीराम के हिस्से पर खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने संसारसिंह के समस्त वारिसान को (पत्नि राजश्री व पुत्री वर्षासिंह) को पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया है। वसीयत दिनांक 21.10.2015 की प्रार्थी को पूर्ण जानकारी है। जब तक प्रार्थी उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा लेता तब तक प्रार्थी को आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजस्व न्यायालय को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नही है। अन्त में अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने को निवेदन किया है। काउण्टर क्लेम में प्रार्थी ने अंकित किया है कि वादग्रस्त आरजी प्रार्थी व अप्रार्थी को अपने पिता/बाबा पितामह से विरासत प्राप्त हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी आराजी में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थी के पिता संसारसिंह का स्वर्गवास हरभानसिंह के जीवनकाल में ही होने से हरभानसिंह की दिमागी हालत खराब हो गयी और अपनी सुध–बुध खो बैठे। अप्रार्थी के नाबालिक होने से तथा माता व बहिन के स्त्री होने के कारण प्रार्थी मुखिया हो गया। जिसका अनुचित लाभ लेकर दिनांक 15.04.2009 को एक वयनामा प्रार्थी ने बिना प्रतिफल दिये व बिना कब्जा करा लिया है। आराजी पैतृक है। इस कारण हरभानसिंह के 1/2 हिस्से में प्रार्थी आधे का व अप्रार्थी उसकी माता एंव बहिन आधे में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करापाने की अधिकारी है। हरीराम के हिस्से की आराजी पर संसारसिंह इनके जीवनकाल में ही काबिज हो गया। हरीरामसिंह व संसार सिंह के राशनकार्ड इसके प्रमाण है। हरीरामसिंह ने अपनी चल व अचल संपत्ति की वसीयत अप्रार्थी के हक में दिनांक 20.10.2015 को कर दी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लेकिन इन्द्राज आज भी मृतक हरीराम के नाम दर्ज है। जिन्हें कलमजन किया जाकर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

दिनांक 28.06.2018 को प्रार्थी ने अप्रार्थी को धमकी दी है कि आराजी को अपने नाम करवा लिया है और हरीराम की आराजी को भी अपने नाम करायेगा और अन्त में अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र व काउण्टर क्लेम के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किया है। अप्रार्थी का जवाब आने पर पत्रावली बहस में नियत की गयी।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा एक लिखित बहस पूर्व में भी प्रस्तुत की गयी है जो संलग्न पत्रावली है। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भी वार्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी अपने जवाब व जवाब काउण्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए अपनी बहस पूर्ण की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया बिन्दुवाईज विवेचना निम्न प्रकार है।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरणः— प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5971/0.30, 6685/0.33, 6783/0.22, 6784/0.14 किता 04 रकवा 0.99 हैक्टर ग्राम जघीना चक नं0 3 तहसील भरतपुर मे स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी का पिता व अप्रार्थी हरभानसिंह 1/2 भाग तथा हरीराम 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार था। हरीराम की मृत्यु लावल्द विला औरत हुई है। इसलिए मृतक हरीराम के 1/2 हिस्से को प्रार्थी ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। अप्रार्थी ने हरीराम के 1/2 हिस्से को हडपने के उदेश्य से एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली है। जिसके आधार पर अप्रार्थी राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर दाखिलखारिज अपने हक में खुलवाना चाहता है। दिनांक 10.06.2018 को इस प्रकार धमकी अप्रार्थी ने प्रार्थी को दी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में सावित है।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसका जवाब अप्रार्थी ने न्यायालय में पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर यह अंकित किया है कि हरीराम अप्रार्थी व उसके पिता संसार सिंह के साथ ही रहा। जिसकी पुष्टि राशन कार्ड करता है। हरीराम के जीवनकाल में ही अप्रार्थी के पिता संसारसिंह हरीराम की आराजी पर काबिज हो गया था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हरीरामसिंह ने अप्रार्थी व उसके पिता की सेवा सुश्रषा से संतुष्ट होकर एक वसीयत दिनांक 20.10.2015 को अप्रार्थी के हक में कर दी है, जिसके आधार पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है। हरभानसिंह को धोखे मे रखकर बिना प्रतिफल व बिना कब्जा लिए एक फर्जी बयनामा प्रार्थी ने 15.04. 2009 को करा लिया है जो गलत है। वक्त वयनामा हरभानसिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जिसको अप्रार्थी अपने हद तक वातिल व बेअसर कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कहा है कि प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन नहीं बनता है। बल्कि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के हक में है।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अहस्ताक्षरित प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए इसमें वार्णित तथ्य कतई विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी/गैरसायल हरभानसिंह को 1/2 भाग को खातेदार होना अंकित किया है। जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित लेकिन प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी/गैरसायल यशोवर्द्धन सिंह अंकित है, हरभानसिंह नहीं है। यहां यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को पूर्ण जानकारी है कि अप्रार्थी के हक में एक वसीयत है। जिसके आधार पर अप्रार्थी अपने हक में दाखिल खारिज खुलवाने की कार्यवाही करवा रहा है। जिसका अंकन प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में भी किया है। जिसमें यह भी अंकित किया है कि राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैधता तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रार्थी के उक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि प्रार्थी वसीयत के आधार पर तहसीलदार भरतपुर के समक्ष चल रही कार्यवाही को रूकवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा यह तथ्य भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी के पक्ष में अपंजीकृत वसीयत करायी गई है। वह मान्य नही है। साथ ही मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार आराजी प्रार्थी को प्राप्त होगी। जिसके लिए प्रार्थी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व धारा 9 की फोटो प्रति तथा कानूनी दृष्टांत आर.आर.डी.–1990 पेज 396 व आर.एल.डब्लू. 2007(1) राज0 पेज 335 प्रार्थी द्वारा पेश की है। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 8 की प्रति, तथा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. –2002 (2) पेज 786, तथा आर.आर.डी. –2008 पेज 197 प्रस्तुत की है तथा अप्रार्थी द्वारा अपंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 20.10.2015 व राशन कार्ड हरीरामसिंह की फोटो प्रति न्यायायलय में पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी का मूल कथन यह है कि हरीरामसिंह की आराजी प्रथम श्रेणी का वारिस होने से प्रार्थी को प्राप्त होगी। अप्रार्थी द्वितीय श्रेणी का वारिस है। इस कारण अप्रार्थी को आराजी प्राप्त नहीं होगी। यहां अप्रार्थी द्वारा पेश की गयी हिन्दू उत्तराधिकार विधि की धारा 8 के पेज संख्या 13 में यह स्पष्ट अंकित है कि "निर्वसियत होने की अवस्था में महत्वपूर्ण बात उत्तराधिकार की क्रियाशीलता की विधि है।" यहां यह विचारणीय है कि उक्त विधि के अधिकार तभी प्राप्त होगें। जबकि कोई हिन्दू निर्वसियत स्वर्गवासी हो जायें। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अप्रार्थी के हक में हरीरामसिंह के द्वारा एक वसीयत दिनांक 20.10.2015 करादी गई है। प्रार्थी द्वारा अंकित कथन कि हरीराम की आराजी प्रथम श्रेणी का वारिस होने से प्रार्थी को प्राप्त होगी। प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं है। क्योकि हरीराम की मृत्यु निर्वसियत नहीं हुई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दिये गये दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिये गये दृष्टान्त निर्वसियत मामले में ही लागू होते है। जहां तक अप्रार्थी द्वारा कानूनी दृष्टान्तों का प्रश्न है तो उपरोक्त दृष्टान्तों में यह स्पष्ट है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। वसीयत सादा कागज पर भी की जा सकती है। राजस्थान राज्य में वसीयत के आधार पर न्यायालय से प्रोबेट लिया जाना कतई आवश्यक नहीं है। जहां वसीयत के निरस्त किये जाने का प्रश्न है तो वसीयत को निरस्त करने का क्षेंत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

प्रकरण पर अप्रार्थीगण के दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। राजस्व रिकार्ड में वासद ग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा पर कुलदीपसिंह (प्रार्थी) व 1/2 हिस्से पर हरीराम खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में हरभानसिंह 1/2 खातेदार दर्शाया है। राजस्व रिकार्ड में हरभानसिंह का कोई इन्द्राज नहीं है। अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये। राशनकार्ड व वसीयतनामा से यह तथ्य भी निविर्वाद अप्रार्थी व उसके पिता संसारसिंह हरीराम के पुत्र व नाती रूप में रहे है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से व प्रार्थना पत्र अहस्ताक्षरित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सावित नहीं है। बल्कि अप्रार्थी के हक में प्रमाणित है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः–</u> चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थना पत्र के वार्णित सभी तथ्यों की पूर्ण विवेचना की जा चुकी है। चूंकि हरीराम द्वारा वाद ग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से की वसीयत अप्रार्थी के हक में करायी गई है। वसीयत कराई गई आराजी पर अप्रार्थी का ही अधिकार बनता है। जब तक

की उसके विरूद्ध कोई विपरीत आदेश नहीं हो। इसलिए उक्त आराजी की बाबत सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षतिः— बिन्दु सं0 1 प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं बिन्दु सं0 2 सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थी के हक में निर्णित किये गये है। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी विरूद्ध प्रार्थी वहक अप्रार्थी तय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हमारे न्याययिक मत में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official